

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ


क्रमांक:- एफ.5() भौ.स/ऑडिट/ICDS/2018 153229-261 जयपुर, दिनांक: 27.8.18

उपनिदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग
समस्त

विषय :- भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों के बकाया समस्त आक्षेपों की अनुपालना भिजवाने के संबंध में।
प्रसंग:- निदेशालय का पूर्व पत्र क्रमांक-एफ5()महा./समीक्षा/मबावि/ 2015/86307-339 दिनांक 02.06.17, 114957-5262 दिनांक 27.07.17, 173575-547 दिनांक 09.11.2017, 196175-207 दिनांक 18.12.2017 8844-76 दिनांक 11.01.2018 एव 63872-904 दिनांक 19.04.2018 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निदेशालय द्वारा समय-समय पर विभिन्न पत्रों, विभागीय समीक्षा बैठकों में एवं दूरभाष पर बकाया अनुच्छेदों की आक्षेपानुसार पूर्ण एवं ठोस अनुपालना भिजवाने हेतु निर्देशित किया जाता रहा है। इसके बावजूद भी आप द्वारा आक्षेपानुसार पूर्ण एवं ठोस अनुपालना भिजवाने हेतु कोई यथेष्ट प्रयास नहीं किये जा रहे हैं। आक्षेपानुसार पूर्ण एवं ठोस अनुपालना के अभाव में बकाया अनुच्छेदों का निस्तारण नहीं हो पा रहा है।

अतः आपके कार्यालय एवं आपके अधीनस्थ परियोजना कार्यालयों के बकाया समस्त अनुच्छेदों की आक्षेपानुसार पूर्ण एवं ठोस अनुपालना पुष्टि के दस्तावेजों को संलग्न कराकर आपकी स्पष्ट टिप्पणी अंकित कर, दो प्रतियों में लेखाकर्मी/संबंधित कार्मिक के साथ भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। पूर्व में भेजी गई अनुपालना की छाया प्रतियां किसी भी स्थिति में नहीं भिजवायें, नये सिरे से आक्षेपानुसार अनुपालना तैयार करके ही भिजवाया जावें।


वित्तीय सलाहकार
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ.5() भौ.स/ऑडिट/ICDS/2018 153262-564 जयपुर, दिनांक: 27.8.18

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

1. बाल विकास परियोजना अधिकारी (समस्त) को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों की आक्षेपानुसार पूर्ण एवं ठोस अनुपालना पुष्टि के आवश्यक दस्तावेजों सहित भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
2. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यालय जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत


वित्तीय सलाहकार
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर